UPMZ010083282026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (SMT. REKHA SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3538 सन् 2026

01. तनु पुत्री सोमपाल,
02. सोमपाल पुत्र दयानन्द,
निवासीगणग्राम बहारपुर, थाना सिखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर।

.....प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(3),
331(6), 3(5) बी.एन.एस.
थाना–सिखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं.– 76/2026

15.07.2026

अभियुक्तगण तनु पुत्री सोमपाल, सोमपाल पुत्र दयानन्द जो कि धारा 115(2), 352, 351(3), 331(6), 3(5) बी.एन.एस., थाना सिखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, अपराध संख्या 76/2026 से संबंधित है, ने जमानत के लिए आवेदन किया है, जो कि उसके पैरोकार द्वारा दिये गये शपथ पत्र से समर्थित है

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17/18.06.2026 को रात्रि समय करीब 01 बजे मेरा छोटा भाई भोलू उर्फ अमित पुत्र धर्मपाल, निवासी ग्राम बहादरपुर, थाना सिखेड़ा, जिला मु.नगर अपने घर के अन्दर सोया हुआ था तभी रात्रि में ही अनुज पुत्र सोमपाल, अंकित पुत्र ओमपाल व तनु पुत्री सोमपाल व सोमपाल पुत्र दयानन्द, निवासीगण गांव बहादरपुर, थाना सिखेड़ा, जिला मु.नगर पुरानी रंजिश के कारण एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डे व लोहे की रोड लेकर छत के रास्ते कूदकर घर में घुसकर मेरे भाई को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे जिससे मेरे भाई को काफी गम्भीर चोट लगी है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह है, उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे रंजिशन पाटीबाजी के आधार

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.07.16 11:23:35 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court-6
Muzaffarnagar

पर झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा के भाई कुलदीप पुत्र धर्मपाल के खिलाफ दिनांक 20.04.2026 को मुकदमा अ.सं. 42/2026, धारा 109(1), 352 भा.दं.सं. थाना हाजा सिखेड़ा पर पंजीकृत है। वादी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्तगण पर दबाव नाजायज बनाने के लिए फैसले के संबंध में बातचीत कर रहा है तथा धमकी दे रहा था कि यदि आपने मुकदमा वापस नहीं लिया तो आपके विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखा दूंगा। दिनांक 17.06.2026 को वादी मुकदमा का भाई कुलदीप जेल से रिहा हुआ, रिहा होते ही वादी मुकदमा भाई कुलदीप ने प्रार्थी/अभियुक्तगण के खिलाफ यह झूठा मुकदमा पुलिस से साज करके लिखाया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त तनु के सिर में दिनांक 28.04.2026 को वादी मुकदमा के भाई ने जान से मारने की नियत से शराब के नशे में लाठी से वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हुई। वादी मुकदमा के भाई कुलदीप दिनांक 17.06.2026 को जेल से रिहा होने के बाद घर पर घर छत पर शराब पी रहे थे तथा नशा होने के बाद जैसे ही जीने से नीचे उतर रहे थे पैर फिसल गया और लूढ़कर फर्श पर आकर गिरे जिससे साधारण चोटें आयी थी। घटना का कोई गवाह नहीं है। उनसे कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 25.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वे पूर्व सजायाफ़्ता नहीं है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करें।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर उसके भाई को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाने का कथन किया है। चुटैल भोलू को आयी चोट संख्या 01 साधारण प्रकृति की है। अभियुक्त जिला दिनांक 25.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी कि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तनु पुत्री सोमपाल एवं सोमपाल पुत्र दयानन्द की जमानत 1,00,000/–, 1,00,000/–रुपये (एक–एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो–दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि–

1– यह कि आवेदक दौरान साक्ष्य साक्षीगण/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा।

2– अभियुक्त/आवेदक प्रत्येक नियत तिथि जो न्यायालय द्वारा मुकर्रर होगी पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा।

3– यह कि अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में संबंधित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारंभ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अं0 धारा 313 दं.प्र.सं. कलमदर्ज होने की तिथि में, उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अथवा जानबूझकर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों के उल्लंघन स्वरूप मानते हुए विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(श्रीमती रेखा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490